

वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

कार्य प्रमंडल, नालन्दा (बिहारशरीफ)

पत्रांक - बी.आर.पी.ए.एन.एल./एन.ए.एल.- सी-

दिनांक-

पृष्ठ -....

प्रेस विज्ञप्ति

चूँकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. पटना को यह प्रतीत होता है कि लखीसराय जिला अंतर्गत बडहिया अंचल के मौजा- पाली थाना सं. 178 एवं महारामचक थाना सं.-179 में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् लखीसराय जिलान्तर्गत बडहिया प्रखंड के पाली गाँव के नजदीक हरोहर नदी पर उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल पहुँच पथ सहित के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा लीज पर लिया जाना अपेक्षित है। बिहार रैयती लीज नीति 2014 के तहत उक्त प्रयोजनार्थ सतत् लीज (Perpetual Lease) पर भूमि लेने का आदेश पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना के पत्रांक का.आ.सं.-11/06-07/13-186 दिनांक-14.07.2015 सहपठित जापांक-11/06-07/13-6429(एस.) दिनांक-14.07.2015 के आलोक में उप मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार अंचल की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्थल चयन पर सहमति प्रदान की गयी है।

यह प्रेस विज्ञप्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1440 दिनांक-13.11.2014 (बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014) के आलोक में मौजा पाली थाना नं. 178 एवं महारामचक थाना नं. 179 अंचल-बडहिया जिला- लखीसराय के निम्न वर्णित भूमि को सतत् लीज पर लिया जाना है जिसके लिए जिला पदाधिकारी लखीसराय के पत्रांक-408 भू.अर्जन (अनु.) दिनांक-16.12.2015 द्वारा उपलब्ध सूची के आलोक में संबंधित भू-स्वामियों की लिखित सहमति प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक-1856 दिनांक-17.12.2015 द्वारा समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिनांक-8.01.2016 को मौजा पाली में मन्दिर के पास शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में उपस्थित भू-स्वामियों द्वारा सहमति/आपत्ति पत्र नहीं दी गई। भू स्वामियों द्वारा सीधे जिला पदाधिकारी लखीसराय को भूमि का किस्म आवासीय श्रेणी में करने हेतु आवेदन दिया गया। जिसे जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। तदुपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक-134 दिनांक-25.01.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी लखीसराय से भूमि के अद्यतन किस्म एवं एम.वी.आर. उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 (सतत् लीज) के तहत मौजा पाली थाना नं. 178 एवं महारामचक थाना नं. 179 अंचल-बडहिया जिला- लखीसराय में सतत् लीज पर ली जाने वाली भूमि की विवरणी, जो अंचलाधिकारी बडहिया द्वारा प्रदत्त संशोधित सूची है मूल रूप में जिला पदाधिकारी के पत्रांक-131/भू.अर्जन दिनांक-18.03.2016 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है जो निम्नप्रकार है:-

क्र. सं.	मौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा खं.	सतत लीज पर ली जानेवाली भूमि का प्रस्तावित रकवा(एकड.)	किस्म जमीन	खतियानी रैयत का नाम	वर्तमान रैयत का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पाली	178	53	2256 2260 2264	0.25 0.17 0.19	आवासीय	महेन्द्र महतो पिता-उमा नारायण महतो	महेन्द्र महतो पिता- उमा नारायण महतो	-
2.	पाली	178	53	2257	0.25	आवासीय		सिधेश्वर महतो वो संजीत महतो पिता स्व. शीतल महतो	
3.	पाली	178	72	2263	0.26	आवासीय	उर्मिला देवी पति अमरनाथ झा	मीना देवी पति राम शरण महतो	
4.	पाली	178	62	2273	0.06	आवासीय	-	रामपति देवी पति साहो सहनी	

5.	पाली	178	62	2273	0.06	आवासीय	-	राजेन्द्र महतो पिता ख्याली महतो	
6.	पाली	178	62	2273	0.11	आवासीय	-	शिव कुमार साव व उदित साव पिता स्व. राम टहल साव	
7.	पाली	178	62	2273	0.01	आवासीय	-	सुनिता देवी पति भोगी सहनी	
8	पाली	178	62	2273	0.02	आवासीय	-	बेदमिया देवी पति बाजो सहनी	
9	पाली	178	62	2273	0.04	आवासीय	-	गनौरी सहनी वॉ गनौरी सहनी व धनन्जय सहनी पिता ऐतवारी सहनी	
10	पाली	178	17	2278 2277	0.15 0.06	आवासीय	बासों महतो	पारों देवी पति-जीवन महतो	
11	पाली	178	55	2261 2277	0.08 0.02	आवासीय	रामातार महतो	विपिन महतों पिता स्व. रामजी महतो	
12	पाली	178	64	2251	0.03	आवासीय	जीवन महतो	लखिया देवी पति तनिक महतों	
13	पाली	178	84	2276	0.0175	आवासीय	जीवन महतो	तनिक महतो पिता पाचु महतो	
14	पाली	178	61	2278	0.14	आवासीय	-	धोधु महतो पिता स्व. बासो महतो	
15	महराम चक	179	661	1889	0.08	एक फसला कृषि	सूरज बक्स सिंह वगैरह	धमंडी राम पिता वृहस्पत राम	
16	महराम चक	179	662	1888	0.45	कृषि	बदरी नारायण सिंह बैगरह	राधे सिंह बैगरह	
17	महराम चक	179	662 661	1887 1889	0.05 0.07	कृषि	बदरी नारायण सिंह बैगरह	लाखो देवी पति जर्नादन महतो	
18	महराम चक	179	662	1887	0.15	कृषि	बदरी नारायण सिंह बैगरह	सियाराम सिंह	
19	महराम चक	179	662	1888	0.25	एक फसला कृषि	बदरी नारायण सिंह बैगरह	कामो महतो पिता शंकर महतो	

उक्त वर्णित भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त करने हेतु ग्राम पाली में मन्दिर के पास दिनांक 27.04.2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में एक शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें उक्त संबंधित भू-स्वामी निम्न प्रपत्र में उक्त सरकारी प्रयोजनार्थ अपनी भूमि देने के संबंध में लिखित सहमति दे सकते हैं:-

